न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 520 सन 2020

अनवान :–

1. गुलाबसिह पुत्र शिवराजसिह जाति जटसिख निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. सुखदेवसिह पुत्र जंगीरसिह जाति जटसिख निवासी रोही मौजा चक 4 बीकेके ढाणी तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 21/01/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 4 बीकेके के खाता संख्या 31/31 की कुल 3.2890हैक जिसमें 3.2380हैक नहरी व 0.0510हैक बारानी भूमि गै0म0रास्ता वादी व प्रतिवादी संख्या 1 सह खातेदारी के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में मुश्तरका खाते में दर्ज है प्रतिवादी संख्या 1 को रोही मौजा चक 4 बीकेके के खाता संख्या 31/31 के प0न0 297/434(49) किला न0 11 ,12 ,16 ,17 व 18 ,19 के कब्जा काश्त में थी जिसे जरिये बैयनामा दिनांक 05.03.1975 को प्रतिवादी संख्या 1 की खरीद की थी तथा गुरदेवसिह वल्द जगीरसिह जाति जटसिख ने प0न0 297/434 (49) के किला न0 7 ता 10 ,13 ता 15 कुल 7 बीधा भूमि जरिये बैयनामा दिनांक 05.03.1975 को खरीद की थी तथा गुरदेवसिह ने दिनांक 26.06.2006 को खरीद कर ली वादी को खरीद के वक्त रोही मौजा चक 4 बीकेके के प0न0 297/434(49) किला न0 7 ता 10 ,13 ता 15 कुल 7.00 बीधा भूमि का कब्जा दिया गया था जो वादी के पास बदस्तूर चला आ रहा है वादी ने अपने कब्जा काश्त की भूमि की सीवडोल अलग से कायम कर रखी है और उपजाउ बनाया गया है वादी अपने कब्जा काश्त व हक हिस्सा की भूमि का खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग से कायम करवाना चाहता है।

वादी ने जरिये बैयनामा खरीद के समय से प्राप्त कब्जा काश्त की भूमि का खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग से कायम करवाने का अधिकारी है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर वादी के कब्जा काश्त की भूमि का खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग से कायम करने के आदेश फरमावे वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि मुश्तरका खाते में दर्ज है वादी एवं प्रतिवादीगण अपने हक हिस्सा के अनुसार अपने अपने हक हिस्सा की भूमि पर काबिज है वादी के कब्जा काश्त में रोही मौजा चक 4 बीकेके के खाता संख्या 31/31 के प0न0 297/434(49) किला न0 7 ता 10 ,13 ता 15 कुल 7.00 बीधा भूमि काश्त करता आ रहा है वादी के हक हिस्सा एवं कब्जा काश्त की भूमि का खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग से कायम किया जाता है तो उसे किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 2 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 4 बीकेके के खाता संख्या 31/31 की कुल 3.2890हैक जिसमें 3.2380हैक नहरी व 0.0510हैक बारानी भूमि गै0म0रास्ता वादी व प्रतिवादी संख्या 1 सह खातेदारी के रूमें राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में मुश्तरका खाते में दर्ज है प्रतिवादी संख्या 1 को रोही मौजा चक 4 बीकेके के खाता संख्या 31/31 के प0न0 297/434(49) किला न0 11 ,12 ,16 ,17 व 18 ,19 के कब्जा काश्त में थी जिसे जरिये बैयनामा दिनांक 05.03.1975 को प्रतिवादी संख्या 1 की खरीद की थी तथा गुरदेवसिह वल्द जगीरसिह जाति जटसिख ने प0न0 297/434 (49) के किला न0 7 ता 10 ,13 ता 15 कुल 7 बीघा भूमि जरिये बैयनामा दिनांक 05.03.1975 को खरीद की थी तथा गुरदेवसिह ने दिनांक 26.06.2006 को खरीद कर ली वादी को खरीद के वक्त रोही मौजा चक 4 बीकेके के प0न0 297/434(49) किला न0 7 ता 10 ,13 ता 15 कुल 7.00 बीघा भूमि का कब्जा दिया गया था जो वादी के पास बदस्तूर चला आ रहा है वादी ने अपने कब्जा काश्त की भूमि की सीवडोल अलग से कायम कर रखी है और उपजाउ बनाया गया है वादी अपने कब्जा काश्त व हक हिस्सा की भूमि का खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग से कायम करवाना चाहता है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के बाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी व प्रतिवादी की आपसी सहमति के आधार पर वादी एव प्रतिवादी के हक हिस्सा की भूमि का खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग अलग किया राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निरतारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मोजा चक 4 बीकेके के खाता संख्या 31/31 की कुल 3.2380हैक भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम मुश्तरका खाते में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है।

वादी का कथन है कि वादी अपने हक हिस्सा व खरीद की गई भूमि जो उसके कब्जा काश्त में है का खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग से दर्ज करवाना चाहता है वादी के कथनो को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया की वादी के कब्जा काश्त की भूमि का खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग से कायम किया जाता हे तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

कोई भी मुश्तरका खातेदार अपने हक हिस्सा एवं कब्जा काश्त की भूमि का खाता व लगान आपसी सहमति से राजस्व रिकार्ड में अलग अलग करवाने के अधिकारी है ।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि वादी के नाम वादी के नाम रोही मौजा चक 4 बीकेके के खाता संख्या 31/31 के प0न0 297/434(49) के किला न0 7 ता 10 व 13 ता 15 की कुल 1.771हैक मय गैर मु0 रास्ता भूमि का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है राजस्व रिकार्ड में खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग से कायम किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. गुलाबसिह पुत्र शिवराजसिह जाति जटसिख निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 सुखदेवसिह पुत्र जंगीरसिह जाति जटसिख निवासी रोही मौजा चक 4 बीकेके ढाणी तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 520 सन 2020 निर्णय दिनांक– 21/01/2021

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि वादी के नाम रोही मौजा चक 4 बीकेके के खाता संख्या 31/31 के प0न0 297/434(49) के किला न0 7 ता 10 व 13 ता 15 की कुल 1.771हैक मय गैर मु0 रास्ता भूमि का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है राजस्व रिकार्ड में खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग से कायम किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय बाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 21/01/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते